‘साहब... हम क्राइम ब्रांच से हैं! इतना कहते ही गले से उड़ाई सोने की चेन ’

फर्जी पुलिस बनकर युवक को अगवा करने की कोशिश, विरोध पर लूटकर भागे,महिला समेत चार आरोपी दबोचे गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के मिसरोद थाना क्षेत्र में खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर लोगों को डराने और लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। गिरोह के सदस्य एक युवक को एमडी ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर उसकी 1.5 तोला सोने की चेन छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त महिंद्रा स्कॉर्पियो (एमपी-04/सीजे-2622) जब्त कर ली गई है, जबकि छीनी गई सोने की चेन की बरामदगी अभी बाकी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में अरशद खान पिता रफीक खान (27), अरशद खान पिता अनीश खान (25), फरहान खान पिता रफीक खान (20) तथा पवित्रा लालजी (31) शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है और इनके खिलाफ राजधानी के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, धमकी, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं।

ऐसे दिया वारदात को अंजामः मिसरोद थाना पुलिस के अनुसार फरियादी अभिषेक राजपूत (22) निवासी शिवा व्हिस्परिंग वुड्स, सलैया ने शिकायत दर्ज कराई कि 2-3 अगस्त की दरमियानी रात वह अपने दोस्तों के साथ आर्यन ढाबा से खाना खाकर घर लौट रहा था। कॉलोनी की पार्किंग में पहुंचते ही पीछे से एक स्कॉर्पियो आकर रुकी। उसमें से तीन युवक और एक युवती उतरे। सभी ने खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताया और अभिषेक को जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। इसी दौरान एक आरोपी ने उसके गले से करीब 1.5 तोला सोने की चेन झपट ली। जब अभिषेक ने शोर मचाया तो कॉलोनी के लोग बाहर निकल आए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए स्कॉर्पियो से फरार हो गए।

सीसीटीवी और मुखबिर तंत्र से खुला राज

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त संजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस उपायुक्त जोन-2 कुमार सहवाल के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मिनी शुक्ला एवं सहायक पुलिस आयुक्त रजनीश कश्यप कौल के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार राय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और मुखबिर तंत्र की मदद से स्कॉर्पियो की पहचान की। इसके आधार पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो जब्त कर ली है, जबकि सोने की चेन की तलाश जारी है।

आदतन अपराधी निकले आरोपी

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी अरशद खान पिता रफीक खान के खिलाफ राजधानी के अलग-अलग थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, बलवा, रंगदारी, मारपीट सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। महिला आरोपी पवित्रा लालजी पर भी एमपी नगर, चुनाभट्टी, ऐशबाग, हबीबगंज, कोहेफिजा और अशोका गार्डन सहित कई थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अन्य दोनों आरोपियों का भी आपराधिक रिकॉर्ड मिला है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने इसी तरह खुद को पुलिसकर्मी बताकर शहर में अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया है या नहीं। फरार साथियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

- खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताकर युवक को रोका।
- एमडी ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देकर 1.5 तोला सोने की चेन छीनी।
- 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया।
- घटना में प्रयुक्त महिंद्रा स्कॉर्पियो जब्त।
- गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड।
- छीनी गई सोने की चेन की बरामदगी अभी शेष।
- अन्य संभावित वारदातों और फरार आरोपियों की तलाश जारी।

जनसुनवाई में पहुंचे 183 आवेदक,कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिला मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने एक-एक आवेदक से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। वहीं, शेष प्रकरणों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कुल 183 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता बरती जाए तथा प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए और अनावश्यक विलंब न होने पाए। कलेक्टर ने आवेदकों को उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिलाया। जनसुनवाई के दौरान अपर कलेक्टर सुमित पांडेय, महेंद्र कवचे, पी.सी. शाक्य, सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पूर्व राज्यपाल डॉ. पाटिल को श्रद्धांजलि

नप्र, भोपाल : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पद्मश्री सम्मान से अलंकृत प्रख्यात शिक्षाविद, समाजसेवी तथा पूर्व राज्यपाल डॉ. डी. वाई. पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। खंडेलवाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉ. डी. वाई. पाटिल ने अपना संपूर्ण जीवन जनकल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया तथा शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

पशुपालन विभाग के तबादलों का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा

भोपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग में हाल ही में किए गए प्रशासनिक स्थानांतरणों के विरोध में प्रदेशभर के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर स्थानांतरण आदेश निरस्त करने की मांग की। प्रभावित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव तथा पशुपालन विभाग के सचिव के कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में सार्थक अनुप्रयोग के आधार पर किए गए स्थानांतरणों पर भी आपत्ति जताते हुए उनकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अधिकारियों का आरोप है कि 15 जून, 16 जून और 18 जून 2026 को जारी स्थानांतरण आदेशों में राज्य की स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि अनेक स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के बजाय मनमाने ढंग से किए गए, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। ज्ञापन में राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि वास्तविक परिस्थितियों की जांच किए बिना केवल ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर अधिकारियों का 700 से 1000 किलोमीटर दूर स्थानांतरण कर दिया गया। साथ ही कुछ प्रभावशाली अधिकारियों को स्थानांतरण सूची से बाहर रखने का भी आरोप लगाया गया है।

टेलीग्राम जॉब ऑफर के नाम पर 7.78 लाख की ठगी, फोन हैक कर, खाते साफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बागसेवनिया क्षेत्र में साइबर अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेलीग्राम पर जॉब ऑफर और अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगों ने एक युवक तथा उसके दोस्तों-परिजनों से 7 लाख 78 हजार 500 रुपये की ठगी कर ली। वहीं, दो अन्य मामलों में मोबाइल हैक कर बैंक खातों से 50 हजार और 82 हजार रुपये उड़ा लिए गए। तीनों मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर लगाया लाखों का चूना

बागसेवनिया निवासी विष्णु शुक्ला (26) को 6 दिसंबर 2025 को टेलीग्राम पर जॉब ऑफर का संदेश मिला। साइबर ठगों ने उन्हें ‘सिक्स टास्क ग्रुप एन396’ नामक ग्रुप में जोड़कर ट्रेडिंग के जरिए अधिक मुनाफा कमाने का झांसा दिया। इसके बाद विष्णु के अलावा उनके दोस्त हर्ष विश्वकर्मा, पिंटू पंडित, मां बसंती देवी और शुभम चौकसे के बैंक खातों से अलग-अलग तारीखों में यूपीआई और बैंक ट्रांजेक्शन कराकर कुल 7,78,500 रुपये हड़प लिए। रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस संबंधित बैंक खातों और ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है।

फोन हैक कर महिला के खाते से 50 हजार निकाले

साकेत नगर निवासी रीना कचेर ने शिकायत में बताया कि 31 जुलाई 2026 को उनका मोबाइल फोन अचानक हैक हो गया। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से उनकी जानकारी के बिना छह ट्रांजेक्शन किए गए। इनमें चार ट्रांजेक्शन 10-10 हजार रुपये तथा दो ट्रांजेक्शन 5-5 हजार रुपये के थे। कुल 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने किसी को ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा नहीं की। पुलिस ट्रांजेक्शन आईडी के आधार पर जांच कर रही है।

मोबाइल अपडेट के बाद खाते से 82 हजार गायब

आदर्श नगर निवासी आशीष पवार (37) ने बताया कि 31 जुलाई को दोपहर करीब 3:30 बजे उनका मोबाइल अचानक अपडेट होने लगा और करीब 20 मिनट बाद पूरी तरह फॉर्मेट हो गया। ऐप दोबारा इंस्टॉल करने पर फोनपे से बैलेंस चेक करने पर पता चला कि आईडीबीआई बैंक खाते से 82 हजार रुपये एक ट्रांजेक्शन के जरिए दूसरे खाते में भेज दिए गए हैं। मामले की तकनीकी जांच जारी है।

सूने घर का ताला तोड़कर किया हाथ साफ पुलिस ने 24 घंटे में दबोचे चार आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कमला नगर थाना पुलिस ने सूने मकान में हुई नकबजनी का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मकान का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, चांदी की भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति, तांबे-पीतल के बर्तन, तांबे का कलश, एडजस्ट फैन, कुकर सहित अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया था। पुलिस ने चोरी का अधिकांश माल बरामद कर लिया है। चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी आरोपी बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार नवग्रह मंदिर के पीछे झुग्गी बस्ती निवासी मुन्नालाल विश्वकर्मा ने 2 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई थी कि वह रात में ड्यूटी पर गया था। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला और अंदर रखा गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, पूजा स्थल का तांबे का कलश, तांबे एवं पीतल के लोटे, भगवान श्रीकृष्ण की चांदी की मूर्ति, एडजस्ट फैन, कुकर सहित अन्य सामान गायब था। शिकायत पर कमला नगर थाने में अपराध क्रमांक 382/2026 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम ने संदेहियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि चोरी का तांबे का सामान नीलबड़ स्थित मिलेनियम कॉलेज रोड पर एक कबाड़ी को बेच दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया और जब्ती की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई। पुलिस ने मामले में नीरज नागवंशी (23), सलमान खान (23), हर्षित उईके उर्फ टक्कू (19) तथा चोरी का माल खरीदने वाले विशाल कुशवाह (30) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को 3 अगस्त को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

- सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों के घरेलू सामान पर किया हाथ साफ।
- गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, चांदी की मूर्ति और तांबे-पीतल के बर्तन चोरी।
- पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।
- चोरी का माल खरीदने वाला कबाड़ी भी पुलिस गिरफ्त में।
- बरामदगी की कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई।

क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ज्वेलर से 1.20 लाख की साइबर ठगी

नप्र, भोपाल : राजधानी में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बार न्यू मार्केट के एक ज्वेलरी कारोबारी को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 1.20 लाख रुपये की चपत लगा दी गई। ठग ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी हासिल किया और कुछ ही मिनटों में क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर रकम निकाल ली। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शास्त्री नगर निवासी एकांश अग्रवाल न्यू मार्केट में ज्वेलरी का व्यवसाय करते हैं। कुछ दिन पहले अपने एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक से संपर्क किया था। इसके दो दिन बाद, 31 जुलाई को उन्हें एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक्सिस बैंक का अधिकारी बताते हुए कार्ड लिमिट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। बातचीत के दौरान आरोपी ने सत्यापन के नाम पर ओटीपी मांगा। जैसे ही एकांश ने ओटीपी साझा किया, उनके क्रेडिट कार्ड से 1.20 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया। मोबाइल पर रकम कटने का संदेश मिलते ही उन्हें ठगी का पता चला। उन्होंने तत्काल बैंक से कार्ड ब्लॉक कराया और साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ट्रांजेक्शन डिटेल, कॉल रिकॉर्ड और संबंधित तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है।

डीएलएड परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर पीड़ित छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल के समक्ष प्रदर्शन किया।

पटवारियों पर सीधे प्राथमिकी नहीं, पहले होगी प्रारंभिक जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध दर्ज होने वाली प्राथमिकी के मामलों में नई व्यवस्था लागू की है। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पटवारी के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। पहले पूरे प्रकरण का प्रारंभिक परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने 20 जुलाई को दिए गए ज्ञापन में इस विषय को प्रमुखता से उठाया था। संघ का कहना था कि वसीयत तथा अन्य राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों में पटवारी केवल प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जबकि अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है। इसके बावजूद कुछ मामलों में पटवारियों के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है। निर्देशों में कहा गया है कि भविष्य में यदि राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर किसी पटवारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की स्थिति बनती है, तो पहले पूरे मामले का प्रारंभिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के लगभग 23 हजार पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जुलाई से आंदोलनरत हैं।

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रापर्टी आई.डी. नं. 8700790014 , आवेदन क्र. 12743 , आवेदन दि. 21/07/2026
क्रमांक 2322/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल दिनांक 4/08/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की साकेत नगर योजना स्थित भूखण्ड क्रमांक-14, सेक्टर-2बी, श्री आर.के. सक्सेना अ. स्व. श्री बी.आर. सक्सेना के नाम पर अंकित है। श्री आर.के. सक्सेना के मुख्तारआम श्री राजेश जैन अ. श्री के.सी. जैन द्वारा उक्त भूखण्ड पर 6 प्रकोष्ठों का निर्माण कर पृथक-पृथक व्यक्तियों को विक्रय किया गया, जिसमें प्रकोष्ठ क्रमांक5, द्वितीय-तल जिसका क्षेत्रफल 475 वर्गफुट का विक्रय श्रीमती स्वपनादास पत्नी श्री एस.एन. दास को किया गया। श्रीमती स्वपनादास पत्नी श्री एस.एन. दास द्वारा पुनः प्रकोष्ठ क्रमांक 5, द्वितीय-तल जिसका क्षेत्रफल 475 वर्गफुट का विक्रय दिनांक 28/12/2012, श्री दिलीप चतुर्वेदी आ. श्री एन.एस. चतुर्वेदी को कर विक्रय पत्र पंजीकृत किया गया। श्री दिलीप चतुर्वेदी द्वारा उक्त सम्पत्ति का नामान्तंरण अपने नाम पर न कराये जाने के पूर्व ही उनका स्वर्गवास दिनांक 26/02/2021 को हो जाने के कारण उनके वारिसगण जिनमें उनकी पत्नी श्रीमती उषा चतुर्वेदी, श्रेयांश चतुर्वेदी एवं मानसी चतुर्वेदी पत्नी/पुत्र/पुत्री स्व. श्री दिलीप चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड पर निर्मित प्रकोष्ठ क्रमांक - 5, द्वितीय-तल जिसका क्षेत्रफल 475 वर्गफुट का नामान्तंरण अपने संयुक्त नाम पर चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्ये /दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति /दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

1183

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-कोलार, भोपाल
प्रकरण क्र. 0033/अ-6-अ / 2025-26
भोपाल दिनांक 10/07/2026

सूचना-पत्र

प्रति 1. श्री हेमन्त कुमार पिता नारायण सिंह निवासी ग्राम अमरावदकलाँ भोपाल (म.प्र.)।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री बबलू सिंह निवासी- ग्राम अमरावदकलाँ तहसील कोलार भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम अमरावदकलाँ स्थित भूमि खसरा क्रमांक 163/2, रकबा 0.1800 हे. भूमि के नक्शा सुधार करने हेतु अभिलेख दुरुस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत की गई है। प्रकरण इस न्यायालय में प्रचलित है। उक्त प्रकरण में आप हितबद्ध पक्षकार है। उक्त में यदि आप को या किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 05-08-2026 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। आज दिनांक 10/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी, तहसील-कोलार, भोपाल

1182

आम सूचना
एक किता मकान नम्बर 28 व्यवासायिक एक मंजिला छावनी (मुख्य मार्ग से हटकर) तहसील हुजूर जिला भोपाल वार्ड नम्बर 21 के संबंध में

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पक्षकार ने 1. रिजवान अली आत्मज स्व. राशिद अली 2. इरफान अली आत्मज स्व. राशिद अली निवासीगण मकान नम्बर 28 छावनी (मुख्य मार्ग से हटकर) तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश के स्वत्व, स्वामित्व व अधिपत्य का एक किता मकान नम्बर 28 व्यवासायिक एक मंजिला छावनी (मुख्य मार्ग से हटकर) तहसील हुजूर जिला भोपाल जो भोपाल नगर पालिक निगम भोपाल की सीमाओं के अन्दर वार्ड नम्बर 21 उक्त मकान मेन रोड से हटकर स्थित है। उक्त मकान नम्बर 28 का कुल क्षेत्रफल 2536.66 वर्गफिट अर्थात 235.74 वर्गमीटर है को क्रय करने का सौदा कर टोकन राशि का भुगतान कर दिया है उक्त डुप्लेक्स पर किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, आदि का कोई ऋण, भार, दान, बंधक, अनुबंध हो अथवा इस अन्तरण से किसी कि कोई प्रभावित हो रहे हों तो इस आम/जाहिर सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेंजो साक्ष्य सहित मेरे समक्ष निम्न पते पर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात किसी भी प्रकार के दावें / आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगें एवं अवधि के पश्चात मेरे पक्षकार उक्त मकान का विक्रय पत्र का पंजीयन कराने हेतु स्वतंत्र होगें।

SUSHMA LAW CHAMBER
AD: OFFICE-H.NO. 63, MIG MAIN ROAD, AISHBAG, BHOPAL M.P RESIDANCE: SOURABH COLONY, GALI NO. 2, HOUSE NO. 19/2, CHANDBAD BHOPAL M.P. BHOPAL, M.9893948560

1181

छत्रसाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल
पंजीयन क्रमांक DRB/292 दिनांक 15/07/1982
पता-पानी की टंकी के पास छत्रसाल नगर फेस-2 पोस्ट पिपलानी जे के रोड़ भोपाल
क्र./सूचना/2026/25 भोपाल, दि. 31/7/2026

वार्षिक साधारण सभा की सूचना

छत्रसाल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल के समस्त अंशधारी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 23/08/2026 दिन रविवार समय प्रातः 10.30 बजे से स्थान संस्था कार्यालय पानी की टंकी के पास छत्रसाल नगर फेस-2 जे.के. रोड भोपाल पर आयोजित की गई है। बैठक में आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। विषय सूची निम्नानुसार है-1. विगत आमसभा की कार्यवाही का वाचन उपरांत अनुमोदन। 2. आय-व्यय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन। 3. बजट वर्ष 2026-27 की स्वीकृति के साथ फेस 2 एवं 3 पानी की टंकी रिपेयर एवं पुताई व अन्य कार्यों में हुए व्यय की पुष्टि। 4. वर्ष 2025-26, के अंकेक्षण प्रतिवेदन का वाचन एवं आपत्तियों का निराकरण। 5. वर्ष 2026-27 के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति का निर्णय। 6. फेस 2 एवं 3 में पंजीयन दिनांक से 8 वर्ष के अंदर भवन निर्माण नहीं करने वाले भूखण्डधारियों के विरूद्ध वैधनिक कार्यवाही हेतु सिविल कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत करने पर निर्णय। 7. जिन सदस्यों द्वारा भूखण्ड विक्रय किया गया है उनके क्रताओं से राशि जमा कराने हेतु सूचना पत्र जारी करना तथा राशि जमा न करने पर वैधानिक कार्यवाही का निर्णय। 8. संचालक श्री एस.एन. शर्मा एवं श्री रामनिवास की मृत्यु उपरांत रिक्त संचालक पद की पूर्ती हेतु कार्यवाही। 9. फेस 2 स्थित स्कूल भवन को शिक्षा समिति को सत्र 2026-27 एवं 2027-28 के लिए निरतंर किराये पर देने का निर्णय। 10. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से। **नोट**- नियत समय पर गणपूर्ति के अभाव में सभा आधा घंटे के लिये स्थगित की जाकर पुनः उसी स्थान पर प्रारंभ होगी जिसमें गणपूर्ति का बंधन नहीं होगा।

ज्योति थिंगले, प्रशासक
अर्पित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

1180

आम सूचना

मेरे पक्षकार भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी 1. भोपाल की ओर रो सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती साधना बडोलिया पत्नी स्व. श्री सुरेश बडोलिया द्वारा, उनके स्वत्व, स्वामित्य एवं आधिपत्य का एक क्रिता आवासीय शेड /मकान नं.-325. जिसके भूखण्ड का क्षेत्रफल 48.79 वर्गमीटर है, जो अम्बेडकर नगर, तहसील- हुजूर, जिला भोपाल में स्थित है एवं जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूरब में-रोड पश्चिम में- शेड नं. 213, उत्तर में- शेड नं. 326 एवं दक्षिण में शेड नं. 324, को साम्यिक बंधक किया जाना प्रस्तावित है। उक्त संपत्ति से संबंधित चेन टाइटल डीड विक्रय-पत्र एवं पट्टा विलेख दिनांक 13.02.2001, जो उप-पंजीयक कार्यालय, भोपाल में ग्रं.नं.-16620, द.क्र. 4819, की मूल प्रति कहीं गुम हो जाने के कारण उनके पुलिस थाना कमला नगर, जिला भोपाल को दिनांक 01/08/2026 को कर दिया है जिसका पावती क्रमांक 92131602326 0029 है, उक्त खो गये चेन टाइटल डीड, विक्रय-पत्र एवं पट्टा विलेख का कोई दुरूपयोग न हो, इसलिये इस सूचना का प्रकाशन भी किया जा रहा है। मेरे पक्षकार बैंक में उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर साम्यिक बंधक किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, शासकीय अर्धशासकीय निकाय को किसी प्रकार की आपत्ति हो अथवा किसी प्रकार का कोई भार या ऋण हो या किसी अन्य व्यक्ति के हित निहित हो या कोई विवाद या ऋण हो या उक्त मूल चेन टाइटल डीड, विक्रय-पत्र एवं पट्टा विलेख, किसी भी व्यक्ति को मिले या किसी के पास हो तो मेरे पक्षकार बैंक में प्रस्तुत करें एवं इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मेरे कार्यालय (कार्यालयीन समय सांय 6 बजे से रात्रि 8 बजे) में आपत्ति दर्ज कराये, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेज की सत्य प्रतिलिपि एवं शेष अन्य मूल दस्तावेजों के आधार पर बंधक कर ऋण प्रदान कर सकेगा। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता
आफिसः आई 26, वर्धमान ग्रीन पार्क कालोनी, अशोका गार्डन, भोपाल मो. 9827452301

1179

-: आम सूचना :-
रजिस्ट्री गुम होने की सूचना बावत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार इशनूर सेनी पुत्री श्री हरविन्दर सिंह, आयु-लगभग 28 वर्ष निवासी-ई-5/31, अरेरा कॉलोनी, आर.एस. नगर, भोपाल, (मध्यप्रदेश) की स्वामित्व का एक आवासीय फ्लैट क्रमांक 502, **Fifth Floor,** ब्लॉक-03, सुपर बिल्टअप एरिया 3866 वर्गफिट/359.29 वर्ग मीटर है, जो कि खसरा क्रमांक 101/1/2, 101/1/1 के अंश भाग पर "विन्ड सर अरालिया", ग्राम-रसूलिया जागीर, विकास खण्ड फन्दा नगर निगम वार्ड क्रमांक 81, कोलार रोड, तहसील कोलार, जिला भोपाल में स्थित है, उक्त प्रकोष्ठ की चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैः-दिशा पूर्व में-अन्य ब्लाक, दिशा पश्चिम में-फ्लैट क्रमांक 501, दिशा उत्तर में-ओपन एरिया-दिशा दक्षिण में-स्टेयर एवं फ्लैट क्रमांक 503, उपरोक्त फ्लैट की मूल रजिस्ट्री जिसका ई-पंजीयन क्रमांक एमपी 0259702021ए1389319 दिनांक 28.05.2021 जो कि कहीं पर गुम हो गयी है, जो काफी तलाशने के बाद भी नहीं मिल रही है, जिसकी सूचना नया पुरा थाना कोलार भोपाल में दिनांक 10.07.2026 को दर्ज करा दी गयी है। यदि उक्त रजिस्ट्री किसी को प्राप्त होती है तो वे मेरे कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर मूल रजिस्ट्री के साथ मेरे कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराये, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को उपरोक्त दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि एवं शेष अन्य मूल दस्तावेजों के आधार पर बंधक कर सकेगा, विक्रय कर सकेगा और ऋण प्रदान कर सकेगा। निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नही होगी और तत्संबंध में मेरा पक्षकार न्याय संगत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

पुलकित सांघी एडवोकेट
सांघी लॉ चेम्बर
67, जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल
मो. 9826019123

1178